



Neutral Citation No. – 2026:AHC:16991

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या - 5402 वर्ष 2025

मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड

याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्व बोर्ड और 5 अन्य

उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील : पीयूष पटेल, प्रदीप कुमार
प्रतिवादी के वकील : सीएससी, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार-VI और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी की दलीलें सुनीं।
- यह याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:

"(i) प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 15.12.2024 के स्थगन आवेदन पर इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देने वाला परमादेश के रूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए और स्थगन आवेदन के निपटारे तक प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 28.11.2024 के विवादित आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाई जाए।"

(ii) प्रतिवादी संख्या 3 को दिनांक 12.12.2024 को गटा संख्या 203एफ (क्षेत्रफल 6.0593 हेक्टेयर) के संबंध में नीलामी को मंजूरी न देने (तीसरे पक्ष का अधिकार सृजित न करने) का निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो ग्राम मतकोपा, ब्लॉक घुघाली, तहसील सदर, जिला महाराजगंज में स्थित है, और यह नीलामी प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में स्थगन आवेदन के निपटारे तक या प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष लंबित पुनरीक्षण के निपटारे तक जारी रहे।

(iii) प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वह प्रतिवादी संख्या 1 के न्यायालय में लंबित पुनरीक्षण संख्या 63/2025 (मत्स्य जीवी सहकारी समिति बनाम नाविक जल मजदूर मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड और अन्य) का इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

भीतर निर्णय ले।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने मत्स्य पालन पट्टा रद्द करने के आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत पुनरीक्षण याचिका और स्थगन आवेदन दायर किया है, जो प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व बोर्ड के समक्ष 2025 से लंबित है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 15.12.2024 के स्थगन आवेदन पर निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।
4. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अध्ययन किया है।
5. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि धारा 210 के तहत पुनरीक्षण याचिकाकर्ता द्वारा दायर यूपी राजस्व संहिता, 2006 के तहत दायर स्थगन आवेदन प्रतिवादी संख्या 1/ राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित है।
6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस याचिका का अंतिम निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 1/ राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देश दिया जाता है कि वह उपर्युक्त पुनरीक्षण याचिका संख्या 63/2025 (मत्स्य जीवी सहकारी समिति बनाम नाविक जल मजदूर मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड और अन्य) पर विधिवत रूप से पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, निर्णय ले। यह भी निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय लेने से पहले, राजस्व बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाए।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"